झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान सभा

त्रयोदश(बजट)-सत्र

वर्ग-02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक- 13 फाल्गुन, 1935 (श0) / 04 मार्च, 2014 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को संसूचित की सं0संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
206.	व -01	श्री अनन्त प्रताप देव	लकड़ी डीपो खोलना।	वन एवं पर्या0	14.02.14
207.	व -08	श्री विद्युत वरण महतो	वन कर्मियों की नियुक्ति।	वन एवं पर्या0	17.02.14
208.	मास-52	श्री नलिन सोरेन	शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति	मानव संसाधन	20.02.14
209.	मास-61	श्री हरिकृष्ण सिंह	विद्यालय का हस्तांतरण	मानव संसाधन	21.02.14
210.	उ -02	श्री जनार्दन पासवान	उद्योग विभाग का कार्यालय खोलना।	उद्योग	20.02.14
211.	मास-58	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	स्टेडियम का जीर्णोद्धार।	कला संस्कृति एवं खेलकूद	20.02.14
212.	मास-64	श्री पौलुस सुरीन	अनुदान दिया जाना।	मानव संसाधन	22.02.14
213.	मास-49	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति	मानव संसाधन	20.02.14
214.	मास-36	श्री बड़कुवार गागराई	विद्यालय भवन का निर्माण कराना।	मानव संसाधन	18.02.14

(कृ0पृ030)

215.मास-06	श्री जगरनाथ महतो	विद्यालय को उत्क्रमित करना।	मानव संसाधन	16.02.14
216.मास-50	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	मानदेय का भुगतान करना।	मानव संसाधन	20.02.14
217.मास-57	श्री निजामउद्दीन अंसारी	उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति।	मानव संसाधन	20.02.14
218.मास-62	श्री सौरभ नारायण सिंह	उचित वेतन का भुगतान करना।	मानव संसाधन	21.02.14
219.मास-16	श्री विनोद कुमार सिंह	नियमित शिक्षकों की नियुक्ति।	मानव संसाधन	16.02.14
220. ख -09	श्री बइकुवार गागराई	जमीन का समतली-करण कराना।	खनन्	18.02.14
221.वि.प्र.-01	श्री अनन्त प्रताप देव	कॉलेज की स्थापना।	विज्ञान एवं प्रावै0	14.02.14
222.मास-55	श्री चन्द्रिका महथा	राशि का भुगतान करना।	मानव संसाधन	20.02.14
223.मास-42	श्रीमती सुधा चौधरी	विद्यालय को उत्क्रमित करना।	मानव संसाधन	18.02.14
224.मास-21	श्री बन्ना गुप्ता	बेंच-डेस्क उपलब्ध कराना।	मानव संसाधन	16.02.14
225.वि.प्र.-07	श्री समरेश सिंह	रिक्त पदों पर बहाली करना।	विज्ञान एवं प्रावै0	18.02.14
226.मास-53	श्री नलिन सोरेन	शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति।	मानव संसाधन	20.02.14
227.मास-27	श्री संजय कु0सिंह यादव	स्टेडियम का निर्माण कराना।	कला संस्कृति एवं खेल कूद	17.02.14
228.मास-56	श्री निजामउद्दीन अंसारी	मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना।	मानव संसाधन	20.02.14
229.मास-43	श्री विद्युत वरण महतो	अनुकम्पा पर नियुक्ति।	मानव संसाधन	19.02.14
230.मास-38	श्रीमती सुधा चौधरी	भग्नावशेष का संरक्षण कराना।	कला संस्कृति एवं खेल कूद	18.02.14
231.मास-63	श्री पौलुस सुरीन	पुलिस पिकेट हटाना।	मानव संसाधन	22.02.14
232.मास-07	श्री जगरनाथ महतो	विद्यालय को उत्क्रमित करना।	मानव संसाधन	16.02.14
233. व -12	श्री उमाशंकर अकेला	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	वन एव पर्या0	22.02.14

(कृ0पृ030)

234.मास-54 श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी	अनुदेशकों को समायोजित करना।	मानव संसाधन	20.02.14
235.मास-48 श्री विदेश सिंह	राशि उपलब्ध कराना।	मानव संसाधन	20.02.14
236.मास-28 श्री संजय कु0सिंह यादव	पढ़ाई प्रारंभ कराना।	मानव संसाधन	17.02.14
237.मास-13 श्री लक्ष्मण गिलुवा	विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति।	मानव संसाधन	16.02.14
238. व -10 श्री सत्यानन्द झा(बाटुल)	आश्रितों को मुआवजा देना।	वन एवं पर्या0	20.02.14
239.मास-47 श्रीमती विमला प्रधान	प्रोन्नति का लाभ देना।	मानव संसाधन	20.02.14
240. व -07 श्री लक्ष्मण गिलुवा	पदाधिकारी पर कार्रवाई करना।	वन एवं पर्या0	17.02.14
241. ख -10 श्री कमल किशोर भगत	खनन् कार्य की जांच कराना।	खनन्	20.02.14
242.मास-19 श्री बन्ना गुप्ता	मानदेय की वृद्धि।	मानव संसाधन	16.02.14
243.मास-59श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	विद्यालय को उत्क्रमित कराना।	मानव संसाधन	21.02.14
244. ख -03 श्री विनोद कु0 सिंह	खनिज नीति बनाना।	खनन्	16.02.14
245. व -13 श्री कमल किशोर भगत	उत्पादकता केन्द्र की स्थापना।	वन एवं पर्या0	20.02.14
246.मास-51 श्री मथुरा प्रसाद महतो	विद्यालय को सहायता प्रदान करना।	मानव संसाधन	20.02.14
247.मास-46 श्रीमती बिमला प्रधान	कार्य योजना बनाना।	कला संस्कृति एवं खेल कूद	20.02.14
248.मास-60 श्री अमित कुमार यादव	विद्यालयों को उत्क्रमित कराना।	मानव संसाधन	21.02.14

.....

राँची,
दिनांक-04 मार्च, 2014 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक-प्रश्न07/2010.....1030...../वि0स0, राँची, दिनांक-3/3/14

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ मा0मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

03/03/14
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
(कृ0पृ030)

ज्ञापांक-प्रश्न-07/2010- ....1030...../वि0स0,राँची, दिनांक- 3/3/14

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

03/03/14

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक-प्रश्न-07/2010- ....1030...../वि0स0,राँची, दिनांक- 3/3/14

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

03/03/14

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

03.03.14

206

श्री अनन्त प्रताप देव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2014 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–व0–01 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत भवनाथपुर के सभी नव (9) प्रखंडों में सरकारी लकड़ी डीपो (जलावन) नहीं है, जिसके वजह से शवदाह हेतु लकड़ी उपलब्ध कराने में ग्रामीणों को कठिनाई होती है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार भवनाथपुर के सभी प्रखण्डों में शवदाह हेतु लकड़ी डीपो खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	शवदाह हेतु लकड़ी की उपलब्धता के विभिन्न श्रोत हैं। प्रखंड स्तर पर वन विभाग द्वारा शवदाह हेतु लकड़ी डीपो खोलने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है एवं डीपो खोला जाना व्यवहारिक नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–वि0स0तारांकित–20 / 2014– 1068 व0प0, राँची, दिनांक– 26/2/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–187 दिनांक–14.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/2/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

207

श्री विद्युत वरण महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2014 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–व0–08 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला चारो ओर से सघन वनों से घिरा है, किन्तु विगत 15 वर्षों से अवैध कटाई के कारण वन सिकुड़ते चले जा रहें हैं तथा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है;	अस्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि वनों की कटाई का प्रमुख कारण वन सुरक्षा कर्मियों (फोरेस्ट गार्ड) के अभाव है तथा पुरे क्षेत्र में आवश्यकता से काफी कम वन कर्मी पदस्थापित हैं;	वस्तुस्थिति यह है कि कई वर्षों से वनरक्षियों की बहाली नहीं होने के कारण वनरक्षियों की कमी हो गई है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त क्षेत्र के लिए वन कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वनरक्षी की नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–वि0स0तारांकित– 29 / 2014– 1066 व0प0, राँची, दिनांक– 26/2/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–381 दिनांक–17.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/2/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-52

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिलान्तर्गत प्रखण्ड शिकारीपाड़ा के बेनागड़ीया उच्च विद्यालयों में मात्र एक शिक्षक कार्यरत है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि एक शिक्षक के कार्यरत रहने के कारण और विषयों की पढ़ाई से छात्र वंचित है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बेनागढ़ीया उच्च विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तत्काल प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जा रहा है।

28/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-67/2014.....396...../ दिनांक 03/03/2014

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

श्री हरिकृष्ण सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-61

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह प्रखंड के मंडल में अवस्थित उच्च विद्यालय जल संसाधन द्वारा संचालित होता है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। प्रश्नाधीन विद्यालय वस्तुतः सिंचाई विभाग द्वारा ही सिंचाई संबंधी तत्काल संचालित योजनाओं में कार्य करने वाले कर्मियों के बच्चों की शिक्षा हेतु खोले गये हैं।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त उच्च विद्यालय में 300 से अधिक छात्र/छात्राएँ और 10 (दस) शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी है। उक्त विद्यालय के छात्रों का परीक्षाफल भी बराबर अच्छा होता है।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार के प्रतिवेदन के अनुसार उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि दूसरे विभाग द्वारा उच्च विद्यालय के संचालन होने से शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समय से वेतन नही मिल पाता है।	इस खण्ड का प्रश्न जल संसाधन विकास विभाग से संबंधित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में वर्णित विद्यालय को मानव संसाधन विकास विभाग को हस्तगत करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा ऐसे विद्यालयों को अपने नियंत्रणाधीन लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-72/2014......401....../ दिनांक 03/03/2014

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

श्री जनार्दन पासवान, मान्नीय स0वि0स0 द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–02 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में आजतक उद्योग विभाग का जिला कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है।	चतरा जिला में उद्योग विभाग का जिला कार्यालय भवन तैयार है। कार्यालय भवन उद्योग विभाग को हस्तगत होने की प्रक्रिया में है।
2	क्या यह बात सही है कि उद्योग विभाग का कार्यालय नहीं रहने से चतरा जिला के लोगों को उद्योग विभाग से संबंधित कार्य हेतु हजारीबाग जाना पड़ता है।	वर्त्तमान में चतरा जिला का उद्योग विभाग से संबंधित कतिपय कार्य विकास भवन, चतरा में संचालित शिविर कार्यालय से किया जाता है एवं कैम्प कार्यालय चतरा में प्रबंधक–1, उद्योग विस्तार पदाधिकारी–1 एवं लिपिक–1 प्रतिनियुक्त हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से संबंधित कार्य यथा–ऋण आवेदन पत्र की प्राप्ति, जिला टास्कफोर्स समिति द्वारा लाभूकों का चयन चतरा में ही की जाती है। जिले के उद्यमों को निर्गत किए जाने वाले उद्यमी ज्ञापन भाग–I एवं भाग–II से संबंधित कार्य यथा– आवेदन प्राप्ति एवं निष्पादन चतरा जिला में ही किया जाता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार चतरा जिला में उद्योग विभाग का कार्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	जिला उद्योग केन्द्र, चतरा के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य में कुछ त्रुटियों का निराकरण करने हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग द्वारा कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चतरा से अनुरोध किया गया है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत कार्यालय भवन का प्रभार हस्तगत किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक– 01/उ0वि0/वि0स0–18/2014– 304 /राँची, दिनांक 03-03-2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0–634 वि0स0 दिनांक–20.02.2014 के आलोक में उत्तर की 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/14

सरकार के अवर सचिव

211

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 04.03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० मास– 58 का उत्तरः–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्रीमती गीताश्री उराँव माननीया मंत्री कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधान सभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय में वर्षो पूर्व निर्मित स्टेडियम जर्जर हालत में होने के साथ–साथ जंगल–झाड़ में परिवर्तित हो चुका है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जिला प्रशासन गिरिडीह के प्रतिवेदनानुसार खेल मैदान ठीक है एवं वर्त्तमान में उक्त स्टेडियम में जिला स्तरीय क्रिकेट मैच चल रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (i) में वर्णित स्टेडियम में आये दिन अस्थाई पुलिस कैम्प बना दी जाती है।	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (i) तथा (ii) के कारण जिलों के खिलाड़ियों को भिन्न–भिन्न खेलों का आयोजन करने में काफी कठिनाईयाँ होती है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। समय–समय पर खेलों का आयोजन कराया जाता है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम का जिर्णोद्धार के साथ–साथ स्टेडियम को अस्थाई पुलिस कैम्प से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	(i) स्टेडियम मरम्मति हेतु एक प्रस्ताव उपायुक्त से प्राप्त है जो विचाराधीन है। (ii) उपायुक्त, गिरिडीह को निर्देश दिया जा रहा है कि वह स्टेडियम में पुलिस न ठहरायें, ताकि खिलाड़ियों के अभ्यास में बाधा न पड़े।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/वि०स०–8–114/2014/क 585 / राँची, दिनांक 28/02/14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 632 दिनांक 20.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/2

सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

F:\Brajesh 13-14\D.Sec\Vidhan Sabha\Copy 1(a) vs.doc

श्री पौलुस सुरीन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-64

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्त रहित इन्टर महाविद्यालयों को किसी भी वित्तीय वर्ष में नियमानुकूल अनुदान नही दिया जाता है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखण्ड वित्त रहित अनुदान अधिनियम, 2004 एवं नियमावली, 2004 के तहत् छात्र संख्या पर अनुदान दिया जाता है। कुछ वर्षो में छात्र संख्या के आधार पर पूरी राशि न देकर कुछ कम राशि दी गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि अनुदान अधिनियम, 2004 की धारा 10 एवं अनुदान नियमावली, 2004 के नियम-11 का पालन आज तक नही किया गया है जिसके कारण अनुदान रूका हुआ है।	इस खण्ड का उत्तर खंड-1 में सन्निहित है। खण्ड-1 में वर्णित स्थिति के अनुसार प्रतिवर्ष अनुदान दिया जा रहा है। वर्त्तमान वर्ष में भी अनुदान देने की कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुदान अधिनियम 2004 में वार्षिक को संशोधन करते हुए मासिक आवर्ती अनुदान देने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 2396 दिनांक 26.09.2013 द्वारा इस तरह के महाविद्यालयों के साथ-साथ अन्य अनुदानित संस्थाओं को अनुदान बढ़ाने हेतु अनुदान नियामावली में संशोधन के प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त करने के लिये संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 12.02.2014 को समर्पित कर दिया है। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभाग द्वारा नियम के आलोक में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-75/2014.....404...../ दिनांक.....03/03/2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

213

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-49

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गम प्रखण्ड गढ़वा में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, ओबरा, उत्क्रमित उच्च विद्यालय डुमरों एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय पिपरा में शिक्षकों की कुल स्वीकृत पद प्रत्येक विद्यालय में 11-11 है, परन्तु इसमे किसी भी विद्यालय में एक भी शिक्षक कार्यरत नही है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यद्यपि उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, तथापि इन उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के मध्य विद्यालयों के प्रभार में उच्च योग्यताधारी शिक्षक द्वारा पठन-पाठन किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि गढ़वा विधान सभा क्षेत्र के मेराल प्रखंड में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, ओखरगाड़ा, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, तेनार, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गोबरदाहा एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बंका में शिक्षकों की कुल स्वीकृत पद प्रत्येक विद्यालय में 11-11 है, परन्तु इसमें किसी भी विद्यालय में एक भी शिक्षक कार्यरत नही है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यद्यपि उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, तथापि इन उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के मध्य विद्यालयों के प्रभार में उच्च योग्यताधारी शिक्षक द्वारा पठन-पाठन किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुरुप शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार करना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त नियमित शिक्षकों के पदस्थापन किये जायेंगे।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-68/2014.....395...../ दिनांक 03/03/2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

214

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री बइकुवर गागराई, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–36

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है प. सिंहभूम जिला अन्तर्गत तांतनगर प्रखण्ड में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय भवनहीन है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन नहीं होने के कारण बी0आर0सी0 तांतनगर में पठन–पाठन कार्य चल रहा है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार तांतनगर प्रखण्ड में कस्तुरबा बालिका विद्यालय भवन बनवाना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	भवन निर्माण हेतु निविदा का निष्पादन कर कार्यादेश निर्गत किया गया है, जिसमें एक शर्त यह भी है कि 15 माह के अंदर भवन का निर्माण पूर्ण किया जायेगा।

3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–8/93-21/14-400 राँची, दिनांक– 3/3/14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 458, दिनांक 18.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

215

श्री जगरनाथ महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-06

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत चन्द्रपुरा प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलारगो में 229 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत् है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के 10 किलोमीटर त्रिज्या क्षेत्र में एक भी उच्च विद्यालय नही है, जिसके कारण इन ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। प्रश्नाधीन उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अलारगो से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गुंजरडीह, 4 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित विद्यालय, पिरनी संचालित है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अलारगो को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 5 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करानी है। खंड-2 के उत्तर से स्पष्ट है कि 2.5 किलोमीटर एवं 4 किलोमीटर की दूरी पर उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। अतः प्रश्नाधीन विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

28/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-40/2014.....389...../ दिनांक 03/09/2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

216

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–50

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला में गैर आवासीय मदरसा/मखतब में वर्ष 2006 से कार्यरत 320 अनुदेशक को जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा के पत्रांक 2829 दिनांक 25.06.2008 द्वारा मानदेय भुगतान का आदेश दिया गया;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि मार्च 2011 में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा उपायुक्त गढ़वा को लंबित मानदेय शीघ्र भुगतान करने का आदेश दिए जाने के बावजूद अभी तक मानदेय भुगतान के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक 3839, दिनांक 30.03.09 के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गढ़वा को जिला कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 08.11.08 में लिए गए निर्णय के अनुसार बजट प्रावधान के अन्तर्गत नियमानुसार भुगतान करने का निदेश दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उपर वर्णित 320 अनुदेशकों को मानदेय का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यो ?	इस वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त मानदेय भुगतान की राशि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। पूर्व के भुगतान पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से बजट की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जा सकेगा।

3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक– 8/6–3–35/14 – 407 राँची, दिनांक– 03.03.2014

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 624, दिनांक 20.02.14के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री निजामुद्दीन अन्सारी, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–57

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि अविभाजित बिहार में उर्दू भाषा के विकास हेतु सेकेंडरी प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1300, दिनांक– 09.11.1999 में वैसे प्राथमिक/मध्य विद्यालय जहाँ दस यह दस से अधिक उर्दू भाषी छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत है, वहाँ एक उर्दू शिक्षक का पदस्थापन हेतु 15,000 उर्दू शिक्षक का पद सृजित किये जाने के ऐवज में 4401 उर्दू शिक्षक का पद राज्य के हिस्से में आया;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि 4401 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति विभाग द्वारा केवल प्राथमिक विद्यालयों में किया जा रहा है, जबकि उक्त पद प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय दोनों के लिए सृजित है;	अस्वीकारात्मक। नियुक्ति के पश्चात् उर्दू शिक्षकों का पदस्थापन वैसे प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों, जहां इण्टर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक के पद स्वीकृत है, में किया जा सकेगा।
3.	यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड (i) में वर्णित तथ्यों के आधार पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यो?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड–2 के उत्तर में निहित है।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक– 8/क–3–33/14–412 राँची, दिनांक– 03.03.[illegible]4

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 631, दिनांक 2[illegible] के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 3/14

(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री सौरभ नारायण सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-62

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रदेश में 89 केन्द्र प्रायोजित मॉडल विद्यालय का शुभारंभ 2011 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) की तर्ज पर किया गया है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित विद्यालयों में अनुबंध पर शिक्षकों की बहाली केन्द्रीय विद्यालय के मापदण्डों टी0जी0टी0 (TGT) के तर्ज पर किया गया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् संचालित मॉडल विद्यालयों में अनुबंध पर शिक्षक नहीं रखे गये हैं, बल्कि घंटी आधारित शिक्षक रखे गये हैं।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित विद्यालयों के शिक्षकों को 120 रू0 प्रति घंटी प्रतिदिन (अधिकतम 5 घंटा) के आधार पर भुगतान किया जाता है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय विद्यालय के अनुबंधित शिक्षकों को 26,250/- प्रति माह की दर से भुगतान किया जाता है।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखंड राज्य में संचालित 89 मॉडल विद्यालय (TGT) के शिक्षकों को (KVS) की तर्ज पर 26,250/- प्रतिमाह भुगतान करना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् 203 शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े प्रखण्डों में से मात्र 89 प्रखण्डों में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् मॉडल विद्यालय संचालित किये गये हैं। इन विद्यालयों में नियमित शिक्षक की नियुक्ति करने की योजना है।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-72/2014.....402...../ दिनांक...03/03/2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

219

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास–16
क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में मॉडल स्कूल एवं सरकार के अधीन बी0एड0 महाविद्यालय व कस्तुरबा विद्यालय संविदा आधारित शिक्षकों के द्वारा चल रहा है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में संविदा आधारित शिक्षिकायें कार्यरत हैं। राज्य में 4 सरकारी बी0एड0 महाविद्यालय हैं। इनमें से किसी में भी संविदा आधारित शिक्षक नहीं हैं। केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् राज्य में संचालित मॉडल विद्यालयों में भी संविदा आधारित शिक्षक कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर घंटी आधारित पठन–पाठन हेतु शिक्षकों की व्यवस्था की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि संविदा शिक्षकों के आंदोलन समय वेतन नही मिलना, असमय छोड़कर चले जाने से पठन–पाठन बाधित होता है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मात्र मॉडल विद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों के मानदेय राशि के अभाव में कुछ समय हेतु बाधित था। मार्च, 2014 तक के मानदेय की राशि विमुक्त कर दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्यालयों में नियमित शिक्षक बहाल करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर खंड–1 एवं खंड–2 में सन्निहित है।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–12/स.5(1)–36/2014.....391...../ दिनांक.....03/03/2014

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

220

श्री बड़कुँवर गागराई, स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.03.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ख–9,

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

प्रभारी मंत्री–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिला में आयरन ओर, लाईम स्टोन एवं चाईना क्ले निकाल कर एक ओर गढ़ा तथा दूसरी ओर पहाड़ बनाने के कारण समतल तथा ऊपजाउ जमीन की कमी होती जा रही है;	उत्तर नकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधानों के अनुसार जहाँ से आयरन ओर, लाईम स्टोन एवं चाईना क्ले या किसी प्रकार के खनिज सम्पदा निकाला जा रहा है, उस गड्ढे का बाहर से मिट्टी डालकर उसका समतलीकरण कर पेड़–पौधे लगाना है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि खनन पट्टों में Indian Bureau of Mines द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनिजों के उत्खनन के दौरान ओवर बर्डन को लीज एरिया में ही माईनिंग प्लान में निर्दिष्ट स्थान पर डम्प के साथ–साथ बैक फिलिंग की जाती है। माईन्स क्लोजर प्लान में पुनर्स्थापन के प्रावधान के आलोक में खनिज के अंतिम रूप से निष्कासन के उपरान्त over burden dump से भरकर उसके top soil से समतलीकरण कर वृक्षारोपन किया जाता है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जॉच कर उक्त जमीन का समतलीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तदैव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता०)–17/2014 262 /एम०, राँची, दिनांक– 1.3.14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–455 दिनांक 18.2.14 के क्रम में 200 प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.14
सरकार के अवर सचिव

221

श्री अनन्त प्रताप देव, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–04.03.2014 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – वि0प्र0–01 की उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री अनन्त प्रताप देव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री के0एन0 त्रिपाठी माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि गढवा जिला अन्तर्गत रमना प्रखंड में अभी तक आई0टी0आई0 कॉलेज की स्थापना नहीं हो पायी है; जिसके वजह से यहाँ के छात्र–छात्राओं को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई हो रही है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपरोक्त प्रश्न खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रमना प्रखंड में आई0टी0आई0 कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष–2013–14 अथवा आगामी वित्तीय वर्ष–2014–15 में गढवा जिलान्तर्गत स्थित रमना प्रखंड में औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु "वाम उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों के युवाओं का कौशल विकास" योजनान्तर्गत रमना प्रखंड में एक स्कील डेवलपमेंट सेन्टर की स्थापना की जा रही है जिसके निर्माण हेतु उपायुक्त, गढवा को राशि का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है।

26.2.14

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(विधानसभा)–711/2014–288 राँची, दिनांक :- 26-02-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–188 दिनांक–14.02.14 के प्रसंग में 200 चकचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.2.14

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री चन्द्रिका महथा, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–55

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने WP(S) No- 1981/05 में पारित आदेश में अवकाश लाभ सुद का 1971 1986 का भविष्य निधि एवं 1971 1973 का अन्तर वेतन राशि का श्री लक्षमण झा को भुगतान की बात कही है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में महालेखाकार झारखण्ड राँची ने भी Pen II CC-7105-06/8176 के तहत् खण्ड (i) में वर्णित भुगतान, जिला शिक्षा अधीक्षक राँची को प्राथमिकता देते हुए भुगतान करने का आदेश देने के पश्चात श्री झा को अब तक भुगतान नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। श्री लक्षमण झा, सेवा निवृत शिक्षक को सेवा निवृति के उपरांत देय लाभों का भुगतान किया जा चुका है। श्री झा ने विलंब से स्वयं वर्ष 2005 में अपना पेंशन कागजात जमा किया, अतः भुगतान पर 12 प्रतिशत की दर से सूद देने के उनके दावे को जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची द्वारा अमान्य कर दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (i) में वर्णित सम्पूर्ण राशि श्री झा को भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड–2 के उत्तर में निहित है।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 8/व 3-29/2014- 406 राँची, दिनांक- 03.03.2014.

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 629, दिनांक 20.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ 3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीमती सुधा चौधरी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-42

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत प्रखंड नौडीहा बाजार में +2 उच्च विद्यालय नही है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रखण्ड के छात्र-छात्राओं को इंटर की शिक्षा हेतु 20-25 कि0मी0 दूर छत्तरपुर जाना पड़ता है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। नौडीहा बाजार प्रखण्ड से 15 किलोमीटर की दूरी पर +2 उच्च विद्यालय छत्तरपुर है, जहां छात्र-छात्रायें पठन-पाठन करते हैं।
3	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त खण्ड-1 में वर्णित प्रखंड में इंटर की पढ़ाई की सुविधा नही होने के कारण अधिकांश छात्राएं इंटर की पढ़ाई से वंचित रह जाती है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्याम बिहारी सिंह उच्च विद्यालय, नामुदाग (नौडीहाबाजार प्रखण्ड) को +2 में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके पश्चात् 7-8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा पर विचार किया जाना है।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-60/2014.....393...../ दिनांक 03/03/2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

224

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री बन्ना गुप्ता, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–21

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत कई सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे बेंच–डेस्क के अभाव में जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को बाध्य है;	स्वीकारात्मक।
2.	उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यालयों में बेंच–डेस्क उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विद्यालयों में बेंच–डेस्क उपलब्ध कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्रस्ताव शामिल किया जा रहा है। प्रस्ताव पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर विद्यालयों में बेंच–डेस्क की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

ह० 21/2/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक– 8/93-14/14-314/ राँची, दिनांक– 21/2/14,

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 334, दिनांक 16.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 21/2/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

225

तृतीय झारखण्ड विधान सभा का त्रयोदश (बजट) सत्र में दिनांक 04.03.2014 को श्री समरेश सिंह, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–वि0प्रा0–07 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि झारखण्ड का महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थान बी0आई0टी0 सिन्दरी, में प्राध्यापकों की स्वीकृति पदों 274 में केवल 80 सहायकों के 132 में मात्र 75 तथा इन्स्ट्रेकर के 74 स्वीकृत पदों में केवल 4 ही पदस्थापित है, जिससे उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने में छात्र–छात्राओं को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।	1. आंशिक स्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थान के हॉस्टल में 2100 छात्र–छात्राओं को ही रखने की क्षमता है, जबकि 3400 छात्र–छात्राओं रखे गये है।	2. स्वीकारात्मक।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर बहाली करते हुए वहॉ के हॉस्टल का विस्तार करने का विचार करना चाहती है, यदि हॉ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	3. (1) झारखण्ड तकनीकी शिक्षा नियमावली 2013 दिनांक 10.10.2013 को अधिसूचित हो गई है। उक्त के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। (2) झारखण्ड अभियंत्रण / बहुप्रावैधिकी सेवा सम्वर्ग (ग्रुप 'ग' के अधिन तकनीकी अराजपत्रित पद) सेवा नियमावली 2013 दिनांक 18.12.2013 को अधिसूचित हो गई है। उक्त के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। (3) बी0आई0टी0 सिन्दरी परिसर में 300शैय्या वाले छात्रावास के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल धनबाद को राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0 / वि0स0–13 / 14 — 492 / राँची, दिनांक– 24.02.14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 453 दिनांक 18.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 24.2.14
(चन्द्रनाथ भगत)
सरकार के अवर सचिव

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-53

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिलान्तर्गत ग्राम-रघुनाथपुर, पंचायत-पथरा प्रखण्ड-रानेश्वर में +2 विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि रानेश्वर +2 विद्यालय में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नही की गई है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। +2 शिक्षा हेतु प्रश्नाधीन विद्यालय में निम्नांकित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पदस्थापित किये गये हैं :- 1. श्री मनोज कुमार मिश्र, भूगोल 2. श्री राजेश सिंह, हिन्दी 3. श्री दिलीप कुमार दास, संस्कृत
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार रानेश्वर के +2 विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति कर पढ़ाई शुरु कराना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर खंड-2 में सन्निहित है।

28/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-68/2014.....397...../ दिनांक.....03/03/2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

227

श्री संजय कुमार सिंह यादव, मा० स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 04.03.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० मास– 27 का उत्तरः–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय सदस्य विधान सभा	*श्रीमती गीताश्री उरॉव माननीया मंत्री कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत मोहम्मदगंज प्रखण्ड स्थित रहमानियाँ उच्च विद्यालयों में उपलब्ध भूमि पर स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है।	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है खण्ड–1 में वर्णित उपलब्ध भूमि पर स्टेडियम नहीं बनाने से खेल कूद का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है।	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत मोहम्मदगंज प्रखण्ड अधीन रहमानियाँ उच्च विद्यालय तारा के उपलब्ध भूमि पर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मोहम्मद गंज प्रखण्ड स्थित रहमानिया उच्च विद्यालय परिसर में स्टेडियम निर्माण के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि विभाग को मंतव्य के साथ हस्तांतरित करने हेतु उपायुक्त, पलामू को निर्देश दिया गया है। उपायुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/वि०स०–8–105/2014/क 584 /राँची, दिनांक 28/02/14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 389 दिनांक 17.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/2

सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री विद्युत वरण महतो, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–43

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	**श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–13 मई, 2000 के दिन श्री करण मुर्मू, सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय केन्दाडांगरी तथा उनकी पत्नी श्रीमती पार्वती मुर्मू, सहायक शिक्षिका, मानुषमुड़िया, मध्य विद्यालय दोनों की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गयी थी,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि दोनों दम्पति के दोनो लड़के सुमंत एवं सुनील तत्समय अल्प व्यस्क थे तथा सरकारी सेवा की पात्रता नहीं रखते थे, जिसके कारण अनुकम्पा के आधार पर उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है,	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2012 में श्री सुमंत एवं श्री सुनील ने अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में अपने नियोजन के लिए उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को अपना आवेदन समर्पित कर दिया है, किन्तु आज तक आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं ली जा सकी है,	अस्वीकारात्मक। मृतक के आश्रित द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु वर्ष–2012 में आवेदन नहीं दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड 2 एवं 3 में वर्णित अनुसूचित जनजाति के दोनों बेरोजगार लड़को की नियुक्ति उनके पात्रता के अनुसार करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम को निदेशित किया जा रहा है कि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–8/ए-3-24/2014 - 402 राँची, दिनांक– 03.03.2014.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 547, दिनांक 19.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

228

श्री निजामुद्दीन अन्सारी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-56

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के राजधनवार प्रखंड में उच्च विद्यालय कुबरी, विरेन्द्र अध्ययन उच्च विद्यालय एवं तिसरी प्रखंड में +2 अग्रवाल उच्च विद्यालय तिसरी अवस्थित है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय का एवं जर्जर भवनों का निर्माण/मरम्मतिकरण/अन्य आवश्यक कार्य नही हुआ है जिस कारण पठन-पाठन कार्य प्रभावित होने के साथ छात्र/छात्राओं को भी कठिनाई हो रही है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 405 दिनांक 25.02.2014 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :- 1. +2 अग्रवाल उच्च विद्यालय, तिसरी का भवन नया है, जिसमें छात्र-छात्राओं के लिये अलग- अलग शौचालय हैं। 2. उच्च विद्यालय, कुबरी में शौचालय की स्थिति सही नहीं है। इस कारण से इस विद्यालय को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण एवं शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृति देते हुए राशि विद्यालय प्रबंध समिति को उपलब्ध करा दी गयी है। 3. विरेन्द्र अमन उच्च विद्यालय, डोरण्डा, राजधनवार में छात्राओं के लिये अलग से शौचालय विद्यालय के विकास कोष के उपलब्ध राशि से करवाने का निर्णय दिनांक 16.01.2014 को लिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (ii) में वर्णित आवश्यक कार्य खण्ड (i) में वर्णित विद्यालयों में आवश्यक कार्रवाई कराने का विचार रखती चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर खंड-2 में सन्निहित है। उच्च विद्यालय, कुबरी में उपलब्ध करायी गयी राशि से भवन निर्माण एवं शौचालय निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा किया जायेगा तथा विरेन्द्र अमन उच्च विद्यालय, डोरण्डा में विकास कोष से शौचालय निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा कराया जायेगा।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-65/2014.....398...../ दिनांक 03/03/2014

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग

230

दिनांक 04.03.14 को श्रीमती सुधा चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न मास–38 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती सुधा चौधरी, माननीय सदस्य विधान सभा	उत्तर दाता श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीया मंत्री, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न		उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत प्रखंड पण्डवा के छेछौरी गाँव के समीप प्राचीन भग्नावशेष मौजूद है।	1.	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त भग्नावशेष संरक्षण के अभाव में नष्ट होने के कगार पर है।	2	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त के संरक्षण एवं शोध से जनता को ऐतिहासिक जानकारियों से अवगत और लाभान्वित कराया जा सकता है।	3.	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपर्युक्त भग्नावशेष के संरक्षण एवं संवर्द्धन का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, यदि नही तो क्यो?	4.	विभाग द्वारा छेछौरी गाँव के प्राचीन भग्नावशेष की जाँच करायी जायेगी। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक: 581 राँची, दिनांक 28/2/14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र० 463/वि०स० दिनांक 18.02.14 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/2

सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

231

श्री पौलुस सुरीन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-63

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

कमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 में स्कलों/कॉलेजों में आवंटित पुलिस पिकेट को हटाने का आदेश दिये है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि प्राथमिक स्कूल, तोकेन, ग्राम तोकेन, प्रखण्ड रनिया, जिला खूँटी एवं झारखंड राज्य के अन्य जिलों में वर्तमान में स्कल/कॉलेजों में पुलिस पिकेट है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की घोर अवहेलना कर रही है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन प्राथमिक विद्यालय के पुराने भवन में पुलिस पिकेट है। विद्यालय संचालन 50 मीटर दूर अलग विद्यालय भवन में किया जाता है। जहां तक अन्य जिलों के स्कूल/कॉलेजों में पुलिस पिकेट का संदर्भ है, इस संबंध में विभाग द्वारा गृह विभाग से अनुरोध किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि स्कल/कॉलेजों में पुलिस पिकेट रहने के कारण छात्रों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है तथा उग्रवादी भी स्कूल/कॉलेजों को निशाना बना रहे है।	विद्यालयों के पठन-पाठन के संदर्भ में उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब प्राथमिक विद्यालय, तोकेन एवं झारखंड राज्य के स्कल/कॉलेजों में अवस्थित पुलिस पिकेट हटाने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा राज्यान्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षा बलों/ पुलिस कब्जे से मुक्त कराने हेतु गृह विभाग से अनुरोध किया गया है। पुनः स्मारित किया जा रहा है।

28/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-76/2014....403...../ दिनांक 03/03/2014

प्रतिलिपिः- . अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

232

श्री जगरनाथ महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास–07

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत डुमरी प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चालमो बरमसिया के दो किलोमीटर की त्रिज्या क्षेत्र के एक भी उच्च विद्यालय नही है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के आस–पास में उच्च विद्यालय नही रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राएँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते है।	निकटतम दूरी पर अवस्थित उच्च विद्यालय में छात्र–छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।
3	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् चरणबद्ध तरीके से 5 किलोमीटर की दूरी पर उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

28/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–12/स.5(1)–41/2014 390 / दिनांक 03/03/2014.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

233

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2014 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–व0–12 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि श्री अनिल कुमार सिंह, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, चौपारण (वन प्रमण्डल सामाजिक प्रमंडल, कोडरमा) में दिनांक 12.08.2011 को पदस्थापित हुए हैं?	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इनके द्वारा 2012–13 में चौपारण सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र के अन्तर्गत अमझर से मयुरहंड पथ में पथ–तट योजना के अन्तर्गत 1400 वॉस गैवियन वृक्षारोपण के अग्रिम कार्य 31 मार्च 2013 तक पुरा कराया जाना था;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि श्री सिंह द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम काम करा कर फर्जी लेखा समर्पित कर (2,25,234) दो लाख पचीस हजार दो सौ चौतीस रू0 का गबन कर लिया है;	वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा जाँच में पायी गयी अनियमितता का प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को भेजा गया है।
4. क्या यह बात सही है कि इनके विरोध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी की प्रमण्डल कोडरमा के द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची को गबन के आरोप में विभागीय कार्रवाई हेतु पत्र लिखा है;	
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वन क्षेत्र पदाधिकारी तथा संलिप्त पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	स्थालीय जाँच की समीक्षा के उपरांत सरकार द्वारा नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–4 / वि0स0तारांकित– 44 / 2014– 1117 व0प0, राँची, दिनांक– 3/3/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–739 दिनांक–22.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/3/14
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

234

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–54

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्रीमती गीताश्री उरांव, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अनौपचारिक शिक्षा के छटनीग्रस्त लिपिक, टंकक, पर्यवेक्षक एवं परियोजना पदाधिकारियों की सेवा को सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में समकक्ष पदों पर समायोजित किया जा चुका है तथा केवल अनुदेशकों की सेवा अबतक समायोजित नहीं किया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अनौपचारिक शिक्षा के वैसे अतिरेक लिपिक, टंकक, पर्यवेक्षक एवं परियोजना पदाधिकारी, जिन्हें स्वीकृत पद के विरूद्ध वेतनमान में नियुक्त किया गया था, की सेवा को सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में समायोजित किया जा चुका है।
2.	क्या यह बात सही है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के याचिका संख्या डब्लू0पी0(एस0)5966/08 एवं डब्लू0पी0 (एस0) सं0–1918/12 के न्याय आदेश में माननीय न्यायालय के द्वारा नब्बे दिन के अंदर अनुदेशकों को विभिन्न विभागों में समायोजित करने का निदेश दिया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन याचिका में माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC no. 8418/2010 में पारित आदेश के आलोक में वादीगण के अभ्यावेदन पर 90 दिनों के अंदर निर्णय लिया जाय। पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC no. 8418/2010 में पारित आदेश के विरूद्ध बिहार सरकार द्वारा LPA no. 1489/2011 दायर किया गया, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.04.12 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए CWJC no. 8418/2010 में दिये गये निर्णय पर रोक लगा दिया है। WP(S) no. 5966/2008 के सदृश्य झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर WP(S) no. 7867/2012 में दिनांक 26.11.13 को आदेश पारित करते हुए वादी अनुदेशकों का सरकारी सेवा में सामंजन के दावे को खारिज कर दिया गया है।

3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार अनौपचारित अनुदेशकों को विभिन्न विभागों में समायोजित करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खण्ड 1 के उत्तर से यह स्पष्ट है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने वादी अनुदेशकों का सरकारी सेवा में सामंजन का कोई आदेश पारित नहीं किया है। अनुदेशकों के समायोजन का सरकार का कोई विचार नहीं है।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक -8/6-3-32/14-415 **राँची, दिनांक** 12.03.2014

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 628 दिनांक 20.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री विदेश सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-48

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के 6 नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रनभेरी, नवडीहा चक, सिलदिलिया, खड़गपुर, कमगारपुर का भवन निर्माण 68 लाख रू0 प्रति विद्यालय की दर पर कराया जा रहा है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि 29.96 लाख रू0 प्रति विद्यालय की दर से राशि की दूसरी किश्त अभी तक निर्गत नही किये जाने से विद्यालय का निर्माण कार्य बाधित है।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा प्रश्नाधीन विद्यालयों के भवन निर्माण (G+1 अर्थात् भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण) हेतु रुपया 68,10,100/- मात्र का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। परन्तु मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 2593 दिनांक 31.10.2008 द्वारा यह निदेश जारी कर दिया गया था कि उत्क्रमित उच्च विद्यालयों हेतु प्राक्कलित राशि रुपया 68.10 लाख के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में विमुक्त की गयी राशि रुपया 41.14 लाख की राशि में मात्र भूतल (Ground Floor) का निर्माण किया जाना है। निर्माण कार्य दिनांक 31.10.2008 से प्रारम्भ किया जाय। इस प्रकार इस विभागीय पत्र के आलोक में किसी प्रकार की दूसरी किस्त की राशि निर्गत नहीं की जानी है।
3	क्या यह बात सही है कि समय-समय पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, मेदिनीनगर द्वारा राशि के लिए अधियाचना की है।	उत्तर स्वीकारात्मक है। परन्तु इस संदर्भ में स्थिति कंडिका-1 में स्पष्ट की गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या उपर्युक्त वर्णित भवनों के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस संदर्भ में जांच कराकर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-69/2014.....394...../ दिनांक 03/03/2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

श्री संजय कुमार सिंह यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-28

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के हार्वे उच्च विद्यालय, हुसैनाबाद तथा बक्शी उच्च विद्यालय, हुसैनाबाद एवं मोहम्मदगंज प्रखण्ड के रहमानियाँ उच्च विद्यालय, तारा को +2 (प्लस टू) की पढ़ाई की स्वीकृति नही दी गई है।</td><td>उत्तर स्वीकारात्मक है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित उच्च विद्यालय में +2 (प्लस टू) की पढ़ाई की स्वीकृति नही मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित हो जा रहे है।</td><td>उत्तर अस्वीकारात्मक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 7-8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करानी है। इस नीति के तहत् प्रश्नाधीन विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु निम्न +2 विद्यालय/इंटर महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध है :-
<table>
<tr><th>प्रश्नाधीन विद्यालय का नाम</th><th>+2 विद्यालय/इंटर महाविद्यालय का नाम</th><th>दूरी (किलोमीटर)</th></tr>
<tr><td>हार्वे उच्च विद्यालय, जपला</td><td>शहीद भगत सिंह इंटर महाविद्यालय, हुसैनाबाद</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>बक्शी उच्च विद्यालय, हुसैनाबाद</td><td>शहीद भगत सिंह इंटर महाविद्यालय, हुसैनाबाद</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>रहमानिया उच्च विद्यालय, तारा</td><td>+2 उच्च विद्यालय, हैदरनगर</td><td>6.0</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के हार्वे उच्च विद्यालय, हुसैनाबाद तथा बक्शी उच्च विद्यालय, हुसैनाबाद एवं मोहम्मदगंज प्रखण्ड के रहमानियाँ उच्च विद्यालय, तारा को +2 (प्लस टू) की पढ़ाई प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके पश्चात् 7-8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा पर विचार किया जाना है।</td></tr>
</table>

ह0/-

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-50/2014........392......../ दिनांक 03/03/2014.

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

237

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री लक्ष्मण गिलुवा, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–13

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	**श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिला के सभी विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों का पद रिक्त है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालयों में संप्रति विषयवार शिक्षकों का पद स्वीकृत नहीं है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए तीन विषयों यथा विज्ञान, समाज अध्ययन एवं भाषा के लिए कम से कम एक–एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में स्वीकृत 4626 पद के विरूद्ध 2592 शिक्षक कार्यरत है। इसके अतिरिक्त पारा शिक्षक के लिए स्वीकृत 5486 पद के विरूद्ध 2759 पारा शिक्षक भी कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालयों में शिक्षण कार्य व्यवस्था जर्जर है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार प0 सिंहभूम जिला में संचालित सभी कोटि के मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों को नियुक्त करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही, स्नातक प्रशिक्षित विषय शिक्षकों के पद सृजन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक- 8/93-72/14-312 /   राँची, दिनांक- 21/2/14

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 294, दिनांक 16.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री सत्यानन्द झा (बाटुल), माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.14 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–व0–10 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के नाला प्रखण्ड अन्तर्गत दर्जनों गाँव के लोग हाथियों के उत्पात से आतंकित है तथा इस उत्पात के कारण स्थानीय लोगों के जान–माल का नुकसान हो रहा है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि जनवरी, 2014 में नाला प्रखण्ड के ग्राम–पुनसिया के निवासी जगत बाउरी, पिता–स्व0 हेमा बाउरी तथा ग्राम–गेड़िया, टोला–आसनघोड़ा के शिवलाल सोरेन, पिता–बदन सोरेन की मृत्यु हाथियों के आक्रमण से हो गयी थी;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड(2) में वर्णित दोनों मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा तथा उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ ही उक्त क्षेत्र को हाथियों के उत्पात से मुक्त कराने हेतु आवश्यक उपाय करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	दोनों मृत व्यक्तियों के आश्रितों यथा बिजुला बाउरी पत्नी स्व0 जगत बाउरी एवं बालिका सोरेन पत्नी स्व0 शिवलाल सोरेन को निर्धारित सरकारी प्रावधानों के तहत दो–दो लाख रूपया मुआवजा भुगतान वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल द्वारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दिये जाने का कोई नियम/प्रावधान नहीं है। हाथियों के निवास स्थान (Habitat) में लगातार हो रहे खंडी–करण (Fragmentation) के कारण हाथियों के बर्ताव में उत्पात की प्रवृति में बढ़ोतरी हुई है। इसके समाधान के क्रम में निम्न व्यवस्था की गई है :– 1. हाथियों एवं जंगली जानवरों के उत्पात से बचने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करना। 2. स्थानीय लोगों के साथ लगातार संवाद तथा स्थानीय ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिलाना। 3. वन कर्मियों एवं दैनिक वेतनभोगी के साथ गश्ती कार्यक्रम। 4. हाथियों के उत्पात से बचने हेतु कारगार उपाय से संबंधित पंफलेट का वितरण। 5. किरासन तेल, जला हुआ मोबिल, पटाखे आदि का वितरण। 6. पश्चिम बंगाल से विशेष दल की सेवायें लेकर हाथियों के झुंड को ग्रामीण इलाके से घने जंगलों की ओर भगाना। 7. हाल मे विभाग द्वारा बेहतर तालमेल एवं हाथियों के झुंड को भगाने में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु बोलेरो कैम्पर वाहन भी उपलब्ध कराया गया है।

	इसके अतिरिक्त Campa योजना के अन्तर्गत 75.00 करोड़ रू0 की लागत से कार्यान्वित की जाने वाली एक पंचवर्षीय योजना स्वीकृत की गई है। जामताड़ा वन प्रमण्डल में एक महिन्द्रा वाहन क्रय किया जा रहा है, जिसके सहायता से उड़नदस्ता टीम को गतिशील बनाने में सहायता मिलेगी।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–4/वि0स0तारांकित – 36/2014– 1113 व0प0, राँची, दिनांक– 3/3/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–647 दिनांक–20.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/3/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

239

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्रीमती विमला प्रधान, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–47

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1994 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी, इन शिक्षकों में से कुछ ने अपनी प्रोन्नति के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय के न्यायादेश संख्या– 02/01.08. 2013 के द्वारा इन्हें नियुक्ति की तिथि से प्रोन्नति का लाभ ग्रेड–I से I/तक का मिल रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1994 में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा नियुक्ति की तिथि से ग्रेड–I में वरीयता प्रदान करने हेतु दायर कतिपय याचिकाओं के वादी शिक्षकों को उक्त लाभ देने का आदेश माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि शेष बचे शिक्षक जो न्यायालय की शरण में नहीं गये वे प्रोन्नति के लाभ से अभी भी वंचित है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन शेष शिक्षकों को ग्रेड–I से I/तक का प्रोन्नति का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1994 में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से ग्रेड–I में वरीयता प्रदान करने के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक– 8/ 9-3-30/14 - 414 राँची, दिनांक– 03.03.2014

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 644, दिनांक 20.02.14के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

240

श्री लक्ष्मण गिलुवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.2014 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–व0–07 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पं0 सिंहभूम जिलान्तर्गत गोइलकेरा में वन क्षेत्र पदाधिकारी जॉन रॉबर्ट तिर्की की जबसे पदस्थापन हुई है वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध धंधे चल रहे हैं;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि गोइलकेरा वन क्षेत्र में जंगलों की कटाई, हाथियों के दाँत, अवैध रूप से पत्थरों का खनन् बड़े पैमाने पर किया जा रहा है;	बेरा प्रक्षेत्र, पोड़ाहाट वन प्रमंडल में अवैध पातन की घटना के आलोक में वन की सुरक्षा एवं संरक्षण में लापरवाही बरतने के कारण संबंधित वनपाल एवं वनरक्षी पर विभागीय कार्यवाही संचालित है। वन क्षेत्र पदाधिकारी श्री तिर्की के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव विचाराधीन है। आनन्दपुर प्रक्षेत्र में हाथी की मृत्यु एवं उसके दोनो दाँत की चोरी होने के क्रम में संबंधित वनरक्षी एवं वनपाल द्वारा सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित है, एवं श्री तिर्की वन क्षेत्र पदाधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) से स्पष्टीकरण पूछते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वन क्षेत्र पदाधिकारी जॉन रॉबर्ट तिर्की पर जाँचोपरान्त कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका में समाहित है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–वि0स0तारांकित– 28/2014– 1067 व0प0, राँची, दिनांक– 26/2/2014

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–382 दिनांक–17.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/2/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

श्री कमल किशोर भगत, स०व०स० द्वारा दिनांक 04.03.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संं–ख–10,

241

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

प्रभारी मंत्री–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिलान्तर्गत किस्को प्रखण्ड के पाखर पंचायत में हिन्डालको द्वारा BKB कम्पनी को बाक्साईट खनन का कार्य सौंपा गया है, जिसमें नियमों की अनदेखी की गयी है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधानों के अनुसार जहाँ से आयरन ओर, लाईम स्टोन एवं चाईना क्ले या किसी प्रकार के खनिज सम्पदा निकाला जा रहा है, उस गड्ढे का बाहर से मिट्टी डालकर उसका समतलीकरण कर पेड़–पौधे लगाना है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जॉच कर उक्त जमीन का समतलीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि लोहरदगा जिलान्तर्गत किस्को प्रखण्ड के पाखर पंचायत में सर्वश्री हिन्डालको द्वारा बाक्साइट का मात्र खनन के लिए Raising Contract BKB कम्पनी को दिया गया है जिसमे नियमों की अनदेखी नहीं की गयी है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता०)–17/2014 263 /एम०, राँची, दिनांक– 3.3.14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–639 दिनांक 20.02.14 के क्रम में 200 प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री बन्ना गुप्ता, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–19

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के पारा शिक्षकों का मानदेय अन्य राज्यों की तुलना में कम है,	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पारा शिक्षकों का मानदेय में मात्र बीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पारा शिक्षकों के मानदेय में 20% से अधिक वृद्धि करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य गठन के बाद पारा शिक्षकों के मानदेय में समय–समय पर वृद्धि की जाती रही है। अंतिम वृद्धि वर्ष 2012 में हुई थी। पुनः उनके मानदेय में 20% की वृद्धि हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सर्व शिक्षा अभियान की कार्यकारिणी समिति द्वारा मानदेय में 20% की वृद्धि के अतिरिक्त मानदेय में और अधिक वृद्धि का संप्रति कोई विचार नहीं है।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक 8/93-08/14-311/ राँची, दिनांक– 21/2/14/

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 331, दिनांक 16.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास-59

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधान सभा क्षेत्र के गिरिडीह प्रखंडन्तर्गत पाण्डेडीह पंचायत में मैगजिनिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैः-	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (i) में वर्णित विद्यालय में लगभग 10 (दस) सुदूर पंचायतों के छात्र व छात्राएँ पढ़ने आते हैं ?	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। प्रश्नाधीन मध्य विद्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिरिसिया तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दुरुपनिया, शीतलपुर है, जहां वर्ग-1 से वर्ग-8 तक की पढ़ाई प्रश्नाधीन विद्यालय की भाँति होती है तथा इन विद्यालयों के पंचायतों के नजदीक के बच्चे इन विद्यालयों में भी पठन-पाठन करते हैं।
3	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह प्रखंड अन्तर्गत पाण्डेयडीह पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं है जिससे छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यद्यपि पाण्डेयडीह पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं है, तथापि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् निर्धारित नीति के अनुसार 5 किलोमीटर की परिधि में गिरिडीह स्थित उच्च विद्यालय, गिरिडीह उपलब्ध है, जहां पाण्डेयडीह की भी छात्र-छात्रायें पठन-पाठन करती हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड (i) में वर्णित विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-3 में सन्निहित है।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-73/2014...399.../ दिनांक 03/03/2014

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

(२५५)

श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04–03–2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ख–03

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि **प्रभारी मंत्री –श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह**

	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि खनिज संसाधनों के अधिकतम उपयोग एवं खनिज क्षेत्र के सतत विकास के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 बनाई गई थी ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
02	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकारों को स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने हेतु एक प्रारूप राज्य खनिज नीति 2010 परिचालित की गयी थी ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में लम्बी अवधि तक आर्थिक विकास हेतु वैज्ञानिक रीति से खनिजों के उत्खनन हेतु खनिज नीति बनाने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कबतक नहीं तो क्यों?	स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड राज्य खनिज नीति का प्रारूप तैयार कर विधि विभाग से विधिक्षा करा ली गयी है। वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य खनिज नीति के प्रारूप पर सहमति हेतु संचिका वित्त विभाग में भेजी जा रही है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक वि0स0(ता0)–/14.....261.....एम0 दिनांक 1.3.14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 200 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0 284 दिनांक 16–2–14 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.14
(उत्तम कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

245

श्री कमल किशोर भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.03.14 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–व0–11 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिला में वनों की बहुलता है जहाँ वाणिकी विकास की सम्भावनायें है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिला में वनोंपज को बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोहरदगा जिला में वाणिकी शोध संस्थान एवं वन उत्पादकता केन्द्र की स्थापना किये जाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राँची में भारत सरकार का वन उत्पादकता शोध संस्थान स्थापित एवं कार्यरत है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–4/वि0स0तारांकित – 37/2014– 1115 व0प0, राँची, दिनांक–3/3/2014
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–633 दिनांक–20.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/3/14
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री मथुरा महतो, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–मास–51

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	**श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद में नेत्रहीन आवासीय विद्यालय (जिसमें 25 नेत्रहीन छात्र शिक्षारत) समाजिक सहयोग से कार्यरत है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस नेत्रहीन आवासीय विद्यालय को कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है;	मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा इस विद्यालय को कोई सहायता नहीं दी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इस नेत्रहीन विद्यालय को RTE (शिक्षा का अधिकार) के अन्तर्गत लाने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यो ?	सर्व शिक्षा अभियान में नेत्रहीन आवासीय विद्यालय को कोई अलग सुविधा देने का प्रावधान नहीं है। इस कार्यक्रम के नेत्रहीन बच्चों सहित अन्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामान्य विद्यालय में नामांकन एवं उनके पढ़ाई हेतु आवश्यक पाठ्य सामग्री/उपकरण एवं रिसोर्स शिक्षक की व्यवस्था का प्रावधान है।

3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–8/प्र.3-34/14 – 408 राँची, दिनांक– 03.03.2014.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 625, दिनांक 20.02.14के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/14
(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

247

दिनांक 04.03.14 को श्रीमती विमला प्रधान, मा०स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० मास–46 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती विमला प्रधान, माननीय सदस्य विधान सभा	श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीया मंत्री, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न		उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पम्पापुर पालकोट प्रखंड का एक ऐतिहासिक एवं रमणीक जगह है प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस क्षेत्र को पर्यटन दृष्टीकोण से भी विकसित किया जा सकता है।	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कला, संस्कृति एवं युवाकार्य विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में पम्पापुर के विकास के लिए राशि आवंटित की गई थी, परंतु अभी तक किसी तरह का कार्य नहीं हो पाया है।	2	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2011–12 में पम्पापुर के विकास के लिए कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग द्वारा कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पम्पापुर के विकास के लिए कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, यदि नहीं तो क्यो?	3	पर्यटन के दृष्टिकोण से किसी स्थल का विकास करना विभाग की कार्यसूची में नहीं है। स्थल की ऐतिहासिकता की जाँच करायी जायेगी एवं नियमानुसार इसके संरक्षण एवं विकास की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांकः 583 राँची, दिनांक 28/02/14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र० 646/वि०स० दिनांक 20.02.14 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/2

सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

श्री, अमित कुमार यादव मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या मास–60		
क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखंड के कल्हाबाद, ईचाक प्रखंड के ईचाक तथा कोडरमा जिलान्तर्गत के जयनगर प्रखंड के परसाबाद में राजकीय उच्च विद्यालय सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सभी उच्च विद्यालय +2 विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किये जाने के सारे आह्त्ताओं को पूरा करता है।	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 7–8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करानी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त उच्च विद्यालयों को +2 विद्यालय के रूप में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके पश्चात् 8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालय की सुविधा पर विचार किया जाना है।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–12/स.5(1)–74/2014 ....400........./ दिनांक 03/03/2014,
प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।